Tele No. 06454243314
Fax No. 06454243314
Mobile No.9473077160

समाहरणालय, पूर्णियॉ
सूचना भवन
जन संपर्क कार्यालय

Website: https://www.prdbihar.gov.in
Email ID :dpro.purnia@gmail.com

प्रेस–नोट

पूर्णियाँ 01 मई। दिनांक–01.05.2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे समाहरणालय, पूर्णियाँ के सभाकक्ष में जिले के प्रभारी सचिव श्री प्रत्यय अमृत, विषेष जिला पदाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा एवं जिला पदाधिकारी श्री राजेष कुमार के द्वारा जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारिओं के साथ समीक्षा बैठक किया गया । **समीक्षोपरान्त निम्नलिखित दिषा निर्देष दिए गए :–**

चक्रवात से प्रभावित परिवारों को राहत एवं सहायय अनुदान का वितरण का भारी मात्रा में प्राप्त षिकायतों एवं सर्वेक्षित सूची में त्रुटियां होने के कारण के.नगर, नगर निगम एवं अन्य प्रखंडों के शेष प्रभावित परिवारों का राहत वितरण स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि पर्याप्त मात्रा में टीम का गठन कर सर्वेक्षित सूची के त्रुटियों का निराकरण किया जायेगा । जांच टीम में यथासंभव अन्य प्रखंड एवं कार्यालय के कर्मियों को शामिल किया जायेगा । एक सप्ताह के पश्चात् पुनरीक्षित सर्वेक्षित सूची के आधार पर व्यापक प्रचार प्रसार कर तथा वितरण केन्द्रों का निर्धारण कर पंचायत राहत अनुश्रवण –सह– निगरानी समिति के देख–रेख में विहित प्रपत्र में अभिश्रव तैयार कर वितरण कराया जायेगा । वितरण अभिश्रव पर राहत वितरण अनुश्रवण–सह– निगरानी समिति के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर लिया जायेगा । पंचायत एवं नगर निगम हेतु आपदा विभाग द्वारा राहत वितरण अनुश्रवण –सह– निगरानी समिति का गठन निम्न प्रकार किया गया है :–

पंचायत स्तरीय राहत वितरण अनुश्रवण –सह– निगरानी कमिटि :–

1. मुखिया – अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य – सदस्य
3. विगत चुनाव में मुखिया पद से हारे हुए निकटतम प्रतिद्विंदी – सदस्य
4. सभी राजनैतिक दलों के एक–एक प्रतिनिधि – सदस्य
5. पंचायत समिति सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के निवासी हों – सदस्य सचिव
6. पंचायत सेवक/राजस्व कर्मचारी – सदस्य सचिव

नगर पंचायत/नगर निगम राहत वितरण अनुश्रवण –सह– निगरानी कमिटि :–

1. संबंधित वार्ड के वार्ड आयुक्त – अध्यक्ष
2. विगत चुनाव में हारे हुए निकटतम प्रतिद्विंदी – सदस्य
3. सभी राजनीतिक दलों के एक प्रतिनिधि – सदस्य
4. स्थानीय विधायक के वार्ड प्रतिनिधि – सदस्य
5. संबंधित वार्ड के तहसीलदार – सदस्य सचिव

प्रभारी सचिव द्वारा चक्रवात से हुए फसल क्षति का आंकलन कर कृषि इनपुट हेतु सर्वेक्षण एवं वितरण के संबंध में निम्न आदेष दिये गये :–

ओला वृष्टि/अतिवृष्टि/चक्रवाती तूफान आदि से प्रभावित किसानों को भारत सरकार के आदेषानुसार सीमान्त एवं लघु कृषकों को फसल की 33 प्रतिषत से अधिक क्षति की स्थिति में असिंचित कृषि केलिए 6800 प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जायेगा जबकि पैरिनियल फसल की क्षति पर 18000 रुपयै प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देय है । इस संदर्भ में यह प्रावधान संसूचित किया गया कि छोटे किसानों को कृषि फसल के लिए 1000 एवं पैरिनियल फसल की क्षति पर 2000 से कम नहीं दिया जायेगा ।

कृषि इनपुट अनुदान भू–अभिलेख के अनुसार जोत के बैद्य मालिक को ही दिया जायेगा । यदि भूमि बटाईदारी पर है तो मालिक एवं बटाईदार के बीच एकरारनामा की स्थिति में ही दोनों के बीच अनुदान वितरण किया जायेगा ।

अनुमोदित किसानों की सूची को जिला के वेवसाईट पर सर्वसाधारण के अवलोकन के लिए अपलोड किया जायेगा । संबंधित अंचल कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रकाषित किया जायेगा । अनुदान का भुगतान आर.टी.जी.एस के माध्यम से किया जायेगा । नगद भुगतान नहीं किया जायेगा । संपूर्ण अनुदान वितरण कार्य की विडियोग्राफी की जायेगी ।

इसके अतिरिक्त प्रभावित/चयनित किसानों के बैंक खाता के आधार पर पूरा नाम/संबंधित बैंक शाखा का नाम, IFSC Code एवं बैंक खाता की छायाप्रति भी राहत अनुदान भुगतान से पूर्व जमा किया जाना आवष्यक है ।

सभी अंचलाधिकारी को निदेष दिया गया कि चक्रवात से हुए गृहक्षति का भी आंकलन कर संबंधित गृह स्वामियों की सूची संग्रहित कर जिला आपदा शाखा, पूर्णियाँ को उपलब्ध कराया जाय । तत्पष्चात् उनका भी गृहक्षति अनुदान संबंधित गृह स्वामी के बैंक खाता में ही भुगतान किया जायेगा ।

सभी प्रकार के सर्वेक्षण एवं प्रतिवेदन के लिए जिला आपदा शाखा द्वारा प्रपत्र उपलब्ध करा दिया गया है । कृषि इनपुट एवं गृह क्षति के आकलन के लिए सभी अंचलाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी को अलग–अलग प्रपत्र उपलब्ध करा दिया गया है ।

प्रभारी सचिव एवं जिला पदाधिकारी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सभी निर्वाचित जन प्रतिनिधियों एवं शहरी क्षेत्र के वार्ड आयुक्तों से अपील किया गया कि वे पूर्व के त्रुटिपूर्ण तैयार की गई सूची एवं उससे उत्पन्न संभावित विसंगतिपूर्ण राहत वितरण की जांच कार्य में जिला प्रषासन को अपेक्षित सहयोग करें साथ हीं अगली स्वच्छ एवं पारदर्षी राहत सूची तैयार करने में जुटे जिला/अंचल/पंचायत के पदाधिकारी/कर्मी को सहयोग देकर प्रभावित परिवारों को सहायता के लिए जिला प्रषासन को सहयोग करें ।

साथ ही जिला पदाधिकारी द्वारा अब तक हुए वितरण के संबंध में प्राप्त सभी षिकायतों की भी जांच विषेष जांच दल गठन कर कराये जाने का निदेष निर्गत किया गया है । जांच में मुख्यतः निम्न साक्ष्यों के पाये जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई भी किया जायेगा यथा–

1. किसी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक बार राहत अनुदान लिये जाने पर
2. एक ही परिवार के एक से ज्यादा सदस्यों द्वारा अलग–अलग राहत अनुदान लिये जाने पर
3. किसी अन्य व्यक्ति नाम पर दूसरे व्यक्ति द्वारा राहत अनुदान लिए जाने पर
4. फर्जी नाम/पता पर राहत अनुदान लिये जाने पर ।

जिला पदाधिकारी द्वारा पंचायत एवं नगर निगम के राहत वितरण अनुश्रवण –सह– निगरानी समिति के सदस्यों से अपील की गयी कि इस प्रकार के व्यक्तियों की पहचान करने में आवष्यक सहायोग करें ताकि उनसे राषि की वसूली या उन पर FIR दर्ज किया जा सके ।

अंत में जिला पदाधिकारी एवं वरीय आरक्षी अधीक्षक द्वारा यह निदेष दिया गया कि सड़क जाम कर अनावष्यक धरना–प्रदर्षन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी । उनकी विधिवत् विडियोग्राफी करायी जायेगी तथा वैसे असमाजिक तत्वों की पहचान कर उन पर FIR दर्ज किया जायेगा जो आम जनता को गुमराह कर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कराते हैं ।

जिला जन संपर्क पदाधिकारी
पूर्णियॉ

Tele No. 06454243314
Fax No. 06454243314
Mobile No.9473077160

समाहरणालय, पूर्णियॉ
सूचना भवन
जन संपर्क कार्यालय

Website: https://www.prdbihar.gov.in
Email ID :dpro.purnia@gmail.com

सर्वसाधारण–सूचना

नगर निगम, पूर्णियाँ के सभी आम जनों को सूचित किया जाता है कि जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के आदेषानुसार कल दिनांक–2.05.2015 को 9.30 बजे पूर्वाह्न में कला भवन, पूर्णियाँ में चक्रवाती तूफान से प्रभावित परिवारों को राहत एवं सहायय अनुदान के पुनरीक्षित सर्वेक्षण एवं वितरण के संबंध में षिकायत एवं सुझाव हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ की उपस्थिति में जनता दरबार का आयोजन किया जायेगा ।

अतः सभी सर्वसाधारण जनता से अपील है कि सर्वेक्षण सूची एवं अब तक हुए वितरण में किसी प्रकार की षिकायत या सुझाव हो तो जनता दरबार में उपस्थित होकर दे सकते हैं । इस कार्य में जिला प्रषासन, पूर्णियाँ आप सभी के सहयोग की अपेक्षा करती है ।

आदेषानुसार